न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

1. विष्णुबहादुर सिंह पिता छोटे लाल सिंह
2. श्रीमान सिंह पिता छोटे लाल सिंह दोनो निवासी ग्राम हटवा खास तहसील सिहावल जिला सीधी (म0प्र0)

————————निगरानीकर्ता

निग/3128/II/15

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. कृष्णवहादुर सिंह
3. हरिप्रताप
4. सत्य प्रसाद सिंह
5. शोभा सिंह पिता श्री बुद्विमान सिंह निवासी ग्राम हटवा खास तहसील सिहावल जिला सीधी (म0प्र0)

————————उत्तरदायीगण

श्री योगेन्द्र सिंह अधोलिया, अभि० को द्वारा आज दि. 15-9-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय के न्यायालयीन प्रकरण क0 10अ–5/10–11 पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 पटवारी हल्का हटवा खास विरूद्व म0प्र0 शासन के विरूद्व होकर प्रस्तुत

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959

मान्यवर ,

निवेदन है कि निगरानी कर्ता की ओर से निम्नांकित तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत है –

1. यह कि रा0 नि0 अमिलिया तहसील सिहावल जिला सीधी अन्तर्गत ग्राम हटवा की आराजी खसरा क0 1475 रकवा 4.09 हे0 का रकवा आवेदकगणो एवं अनावेदक कमांक 2 त 5 की पैतृक आराजियात है साथ ही उक्त आराजियात का मौके स्थल पर काविज कास्त के अनुसार वटनवारा फर्द तैयार कर वटवारा अर्षा पूर्व हो गया था उक्त आराजी में अनावेदक को 0.405 हे. एवं अनावेदक कमांक 2 को 3.09 हे0 की आराजी प्राप्त हुई परन्तु वक्त दौरान वटवारा फर्द तैयार कराते वक्त नक्सा तरमीम की कार्यवाही नही की गई जो कि कई वर्षो तक नक्सा तरमीम की कार्यवाही नही हो सकी ।
2. यह कि अनावेदक गण पटवारी हल्का से साठ गाठ बैठा कर चोरी छिपे तौर पर तहसीलदार महोदय के यहा अनावेदन पत्र प्रस्तुत कर पटवारी हल्का से जहॉ पर आवेदक का कब्जा एवं निकार निस्तार है , उक्त रकवा अपने नाम से नक्सा तरमीन कर लिया गया जिस वात की जानकारी आवेदक को नही हो पाई ।
3. यह कि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि अनावेदक को न तो मौके स्थल पर सूचना दी गई और ना ही माननीय तहसील न्यायालय से ही

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3124/II/15 जिला सीधी

विष्णु बहादुर विरुद्ध म०प्र० शासन, कृष्ण बहादुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-11-15	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ० पी० शर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से बताया गया कि खसरा क्र० 1475/ रकबा 4.09 हे० आवेदकगणों एवं अनावेदकगणों क्र 2 से 5 तक की पैतृक भूमियां हैं, जिसका बटवारा काफी समय पूर्व हो गया था जिसके अनुसार उक्त भूमि में कब्जे के अनुसार मौके पर काबिज हैं। लम्बे समय तक बटवारे के अनुसार नक्शा तरमीम नहीं हो सका। इसी बीच अनावेदक गण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी का नक्शा तरमीम रा०नि० एवं पटवारी से मिलकर करा लिया। उक्त नक्शा तरमीम की सूचना आवेदक को नहीं दी गई और न ही इस संबंध में आवेदकगणों को कोई सूचना पत्र ही जारी किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किये गये, जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें, यहां पुनरांकित नहीं किया गया किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं आवे० अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि पटवारी द्वारा नक्शा तरमीम के	

[कृ. प. उ.

R.3128/11/15 सोधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विष्णु बहादुर कृष्णा बहादुर	

के सम्बंध में बनाए गए पंचनामा दिनांक-12-2-11 के अनुसार अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर आवेदक उपस्थित नहीं था, क्योंकि आवेदकगणों को सूचना ही नहीं दी गई और न ही सूचना पत्र ही जारी किया गया। प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि (अनावेदक) आवेदक एवं ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष नक्शा तरमीम किया। प्रतिवेदन में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि आवेदक छोटेलाल भी तथा उनका पुत्र विष्णुबहादुर सिंह उपस्थित था। अवलोकन से पंचनामा एवं प्रतिवेदन पर भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार के नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 7-3-2011 का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट है कि तह० द्वारा भी नक्शा तरमीम आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही में विधि की मंशा के विपरीत जाकर पारदर्शिता से कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में तह० का नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 7-3-11 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधी० न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 7-3-11 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार संहिता की धारा 70 में निहित प्रावधानों के तहत उभय पक्ष को सूचना पत्र देकर समस्त हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए नक्शा तरमीम (उप विभाजन) का आदेश पारित करें। पक्षकार सूचित हों। द०प्र०रि० हो।

सदस्य